

मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन की प्रक्रिया एवं योजना की संक्षिप्त विवरणी

* वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत 8000 आवेदनों का चयन जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया जाना है, जिसे कैटेगरी-(A), (B) एवं (C) के रूप में विभाजित किया जायेगा। आवेदक द्वारा गलत कैटेगरी चयन अथवा गलत आवेदन करने पर पुनः संशोधित करने का कोई विकल्प नहीं दिया जायेगा। आवेदक जिस जिले में परियोजना स्थापित करना चाहते हैं, उस जिले का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

कैटेगरी-(A) - 59 परियोजनाओं के लिए 4000 लाभुकों का चयन किया जाएगा।

कैटेगरी-(B) - चर्म एवं वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा।

कैटेगरी-(C) - बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में मात्र चर्म एवं वस्त्र प्रक्षेत्र के लिए 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। कैटेगरी 'C' के लिए लक्ष्य जिलावार न होकर पूरे राज्य के लिए है। किसी भी जिला के आवेदक द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र में आवेदन दिया जा सकता है।

एक आवेदक अपने आधार के माध्यम से किसी एक कैटेगरी में ही आवेदन कर सकते हैं।

और पढ़े :-

कैटेगरी-(A) में सभी 59 प्रक्षेत्र निम्नवत हैं :-

1. पशु आहार का उत्पादन, 2. मुर्गी दाना का उत्पादन, 3. मखाना प्रोसेसिंग, 4. बेकरी उत्पाद (ब्रिड, बिस्कुट, रस्क इत्यादि), 5. आटा, बेसन उत्पादन (पलवराइजर मशीन को छोड़कर), 6. आटा, बेसन उत्पादन (पलवराइजर मशीन के साथ), 7. ऑयल मिल, 8. मशाला उत्पादन, 9. आईसक्रीम उत्पादन, 10. जैम/जेली/सॉस उत्पादन, 11. पल्स मिल (दाल उत्पादन), 12. पोहा, चूड़ा उत्पादन, 13. बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, 14. मधु प्रसंस्करण, 15. फल का जूस, 16. कॉर्न फ्लैक्स उत्पादन, 17. सत्तु का उत्पादन, 18. कॉर्न पफ का उत्पादन, 19. होटल/रेस्टुरेन्ट/ढाबा, 20. कुलर निर्माण, 21. फ्लैक्स प्रिंटिंग, 22. साईबर कैफे/आईटी0 बिजनेस, 23. ऑटो गैरेज, 24. सिमेंट जाली, डोर, विण्डो इत्यादि, 25. पेभर ब्लॉक एण्ड टाईल्स, 26. फ्लाई एश ब्रिक्स, 27. आर0सी0सी0 स्पुन ह्यूम पाईप, 28. स्पोर्ट शुज, 29. पी0भी0सी0 फुटवियर, 30. मेडिकल जाँच घर, 31. ड्राई किलनिंग, 32. सेनेटरी नैपकिन उत्पादन, 33. बुक/कॉपी/फाईल/फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग (एज स्क्वायर मशीन के साथ), 34. बुक/कॉपी/फाईल/फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग (एज स्क्वायर मशीन को छोड़कर), 35. प्लास्टिक की सामग्री यथा- बॉक्स, बोटल इत्यादि, 36. डिटरजेंट पाउडर/केक का उत्पादन, 37. लेदर गार्मेन्ट्स, जैकेट्स इत्यादि का उत्पादन, 38. लेदर शुज/सैंडल उत्पादन, 39. बैग्स, बेल्ट्स पर्श, ग्लब्स, गाड़ी का सीट कवर जैसे लेदर एवं रेक्सीन का उत्पाद निर्माण, 40. रेडिमेड गार्मेन्ट्स होजियरी (Knitting) (टी-सर्ट, लेगिंस, ट्रैक सूट, कैफ्री, टॉप्स, हार्फ पैंट इत्यादि), 41. रेडिमेड गारमेन्ट्स Woven (शर्ट, फॉक, पजामा कुरता, कुरती, नाइटी इत्यादि), 42. कृषि उपकरण निर्माण इकाई, 43. गेट ग्रील निर्माण इकाई/वेलडिंग इकाई (सी0एन0सी0 को छोड़कर), 44. हॉस्पीटल बेड/ट्रॉली निर्माण इकाई, 45. हल्के वाणिज्यिक वाहन का बॉडी निर्माण इकाई, 46. स्टील फर्नीचर, अलमीरा, बॉक्स, ट्रैक, रैक निर्माण इकाई, 47. रॉलिंग स्टर निर्माण, 48. बांस का समान/बेंत का फर्नीचर निर्माण इकाई, 49. बढ़ीगिरी एवं लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण इकाई, मधुमक्खी का बक्सा निर्माण (सी0एन0सी0 राउटर के बिना), 50. बढ़ीगिरी एवं लकड़ी के फर्नीचर का वर्कशॉप (सी0एन0सी0 राउटर के साथ), 51. नेल, कांटी का उत्पादन, 52. पेपर बैग का निर्माण, 53. पेपर कप एण्ड प्लेट का निर्माण, 54. केले रेशा निर्माण, 55. पावरलूम इकाई, 56. इलेक्ट्रीक वाहन विनिर्माण इकाई, 57. डिजाइनर प्रोडक्ट (थ्री0डी0 प्रिंटर और के सी0ओ0टू0 लेजर कटिंग मशीन के साथ), 58. डिजाइनर गेट ग्रिल निर्माण इकाई (सी0एन0सी0 प्लाज्मा राउटर मशीन साथ), 59. कृषि ड्रोन एज ए सर्विस

कैटेगरी-(B) में वस्त्र, चम्मि खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य उच्च प्राथमिक क्षेत्र के सभी 26 प्रक्षेत्र निम्नवत हैं :-

1. मखाना प्रोसेसिंग,
2. बेकरी उत्पाद (ब्रेड, बिस्कुट, रस्क इत्यादि),
3. आटा, बेसन उत्पादन (पलवराइजर मशीन को छोड़कर),
4. आटा, बेसन उत्पादन (पलवराइजर मशीन के साथ),
5. ऑयल मिल,
6. मशाला उत्पादन,
7. आईसक्रीम उत्पादन,
8. जैम/जेली/ सॉस उत्पादन,
9. पल्स मिल (दाल उत्पादन),
10. पोहा, चूड़ा उत्पादन,
11. मधु प्रसंस्करण,
12. फल का जूस,
13. कॉर्न फ्लैक्स उत्पादन,
14. सत्तु का उत्पादन,
15. कॉर्न पफ का उत्पादन,
16. रेडिमेड गार्मेन्ट्स होजियरी (Knitting) (टी-सर्ट, लेगिंस, ट्रैक सूट, कैफ्री, टॉप्स, हार्फ पैंट इत्यादि),
17. रेडिमेड गारमेन्ट्स Woven (शर्ट, फ्रॉक, पजामा कुरता, कुरती, नाइटी इत्यादि),
18. लेदर गार्मेन्ट्स, जैकेट्स इत्सादि का उत्पादन,
19. चमड़े का जुता/चप्पल उत्पादन,
20. चमड़े का बैग्स,
- बेल्ट्स पर्श, ग्लब्स, गाड़ी का सीट कवर इत्यादि का निर्माण,
21. इलेक्ट्रीक वाहन विनिर्माण इकाई,
22. डिजाइनर प्रोडक्ट (थ्री०डी० प्रिंटर और सी०ओ०ट० लेजर कटिंग मशीन के साथ),
23. डिजाईनर गेट ग्रिल निर्माण इकाई (सी०एन०सी० प्लाज्मा राउटर मशीन के साथ),
24. बढ़ईगिरी एवं लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण इकाई (सी०एन०सी० राउटर के साथ)
25. पावरलूम इकाई,
26. कृषि ड्रोन एज ए सर्विस

कैटेगरी-(C):-

➤ बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों यथा- हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र/ ई०पी०आई०पी०, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र, बिहटा(पटना)/सिकन्दरा, औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग (बितिया) औद्योगिक क्षेत्र/ मारंगा (पूर्णिया) औद्योगिक क्षेत्र, वृहत औद्योगिक क्षेत्र, बरारी, भागलपुर एवं बेगुसराय औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत वस्त्र एवं चम्मि के सभी 06 प्रक्षेत्र निम्नवत हैं :-

1. लेदर गार्मेन्ट्स, जैकेट्स इत्यादि का उत्पादन,
2. लेदर शुज/सैंडल उत्पादन,
3. बैग्स, बेल्ट्स पर्श, ग्लब्स, गाड़ी का सीट कवर जैसे लेदर एवं रेक्सीन का उत्पाद निर्माण,
4. रेडिमेड गार्मेन्ट्स होजियरी (Knitting) (टी-सर्ट, लेगिंस, ट्रैक सूट, कैफ्री, टॉप्स, हार्फ पैंट इत्यादि),
5. रेडिमेड गारमेन्ट्स Woven (शर्ट, फ्रॉक, पजामा कुरता, कुरती, नाइटी इत्यादि)
6. पावरलूम इकाई।

* तीनों कैटेगरी यथा 'A', 'B' एवं 'C' के लिए रेडिमेड गार्मेन्ट्स होजियरी (Knitting) (टी-सर्ट, लेगिंस, ट्रैक सूट, कैफ्री, टॉप्स, हार्फ पैंट इत्यादि) तथा रेडिमेड गारमेन्ट्स Woven (शर्ट, फ्रॉक, पजामा कुरता, कुरती, नाइटी इत्यादि) के क्षेत्र में औद्योगिक सिलाई मशीन ऑपरेटर (ISMO) में दीन द्याल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) अथवा बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) के माध्यम से न्यूनतम 400 घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दिया जायेगा। साथ ही योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के समय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

नोट:-

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 15 सितम्बर, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक आवेदन प्राप्त किया जायेगा।
2. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा व्यक्तिगत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) नहीं बनाया जायेगा। पोर्टल पर उपलब्ध विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को ही अंतिम माना जायेगा।
3. मेडिकल जाँच घर, केला रेशा निर्माण, इलेक्ट्रीक वाहन विनिर्माण इकाई, डिजाइनर प्रोडक्ट (थ्री०डी० प्रिंटर और सी०ओ०ट० लेजर कटिंग मशीन के साथ), डिजाईनर गेट ग्रिल निर्माण इकाई (सी०एन०सी० प्लाज्मा राउटर मशीन के साथ) इत्यादि परियोजना में आवेदन करने

हेतु आवेदकों को संबंधित परियोजना में प्रशिक्षण/कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4. प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि योजना के लाभुक से फँड कॉल/विभाग के नाम से ई-मेल के माध्यम से अवैध राशि की मांग की जाती है। ऐसे फँड कॉल/ई-मेल से सावधान रहने की आवश्यकता है। MMUY में चयन के लिए किसी व्यक्ति के बहकावे में न आये। विभाग द्वारा पूर्ण पारदर्शी तरीके से MMUY के लाभार्थियों का चयन Randomization (लॉटरी) के द्वारा किया जाता है।
5. उद्यमी योजना के लाभ प्राप्त करने के उपरांत किसी भी तरह का फँड यथा-फर्जी बिल, बिल में छेड़छाड़, राशि का योजना प्रावधान के विपरीत दुरुपयोग इत्यादि किये जाने पर लाभुक कानूनी कार्रवाई के पात्र होंगे।

प्रक्रिया :-

1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत योजनावार अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग परियोजना राशि निर्धारित किया गया है (सूची संलग्न)।
2. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रथम किश्त के रूप में ₹0 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये) कार्यस्थल की तैयारी/बिजली कनेक्शन/अग्नि शमन यंत्र/सुरक्षा उपकरण/ आंतरिक साजो-सज्जा के लिए दिया जायेगा। प्रथम किश्त की उपयोगिता समय सीमा 60 दिन के अंदर करने के पश्चात ही द्वितीय किश्त के रूप में मशीनरी क्रय करने तथा तृतीय किश्त के रूप में कार्यशील पूँजी के लिए परियोजनान्तर्गत निर्धारित राशि दिया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत लाभुकों को प्रत्येक किश्त की राशि उपलब्ध कराने के 60 दिनों के अंदर व्यय कर उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।
4. मशीनरी क्रय में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र GST बिल सहित ही मान्य होगा। अर्थात् GST नंबर धारण नहीं करने वाले विक्रेता से किसी भी प्रकार का क्रय अमान्य होगा। साथ ही लाभुकों द्वारा मशीनरी क्रय करते समय विक्रेता को चेक/ड्राफ्ट/ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी स्थिति में मशीन विक्रेता को नगद भुगतान मान्य नहीं होगा।
5. विभाग द्वारा निर्धारित समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले लाभुकों को प्रदान की गयी राशि की वसूली से संबंधित कार्रवाई की जायेगी।
6. विभाग द्वारा लाभुकों के इकाई में स्थापित मशीनरी पर यूनिक पहचान चिन्ह (UID) उत्कीर्ण कराया जायेगा।
7. आवेदकों को उद्यमी योजनान्तर्गत चयन के पश्चात 45 दिनों के अंदर अपने फर्म के नाम से चालू खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक/कमर्शियल बैंक में) खुलवाकर उसकी विवरणी सहित रद्द चेक/बैंक स्टेटमेंट भी उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. मशीनरी क्रय करने लिए निर्धारित राशि के अन्तर्गत अधिकतम 25 प्रतिशत तक ही मशीनों में बदलाव अनुमान्य होगा।

❖ मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत निम्न प्रकार आवेदन प्राप्त किये जायेंगे :-

- योजनान्तर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के आवेदक जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 या इंटरमीडिएट/आईटीआई/पोलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष हो, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना :- इस योजनान्तर्गत केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरुष/महिला आवेदक ही आवेदन भरने के लिए पात्र होंगे।

- मुख्यमंत्री अति पिछ़ड़ा वर्ग उद्यमी योजना :- इस योजनान्तर्गत केवल अति पिछ़ड़ा वर्ग (BC-01) के पुरुष/महिला आवेदक ही आवेदन भरने के लिए पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना :- इस योजनान्तर्गत केवल सामान्य एवं पिछ़ड़ा वर्ग (BC-02) के पुरुष आवेदक ही आवेदन भरने के लिए पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना :- इस योजनान्तर्गत सभी वर्ग की महिला आवेदक आवेदन भरने के लिए पात्र होंगी।
- दिव्यांग आवेदकों के लिए उपरोक्त प्रत्येक उद्यमी योजना यथा- मुख्यमंत्री एस0सी0/एस0टी0, ई0बी0सी0, युवा एवं महिला उद्यमी योजना में न्यूनतम 03 प्रतिशत क्षैतिज प्राथमिकता देय होगा।